संख्या:25/2018/903जेएल/22-3-18-100(111)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 04 मई, 2018***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध विचाराधीन बंदियों-पिन्टू उर्फ अमित महरा एवं अरविन्द महरा पुत्रगण श्री रामसहारे उर्फ बच्चा महरा को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-16035/सामा-1(3ए)इला0परि0/2018, दिनांक 26-04-2018 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध निम्नलिखित 02 (दो) विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	पिन्टू उर्फ अमित महरा पुत्र श्री रामसहारे उर्फ बच्चा महरा	केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद	जिला कारागार, मिर्जापुर
2	अरविन्द महरा पुत्र श्री रामसहारे उर्फ बच्चा महरा	केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद	जिला कारागार, सोनभद्र

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्याशासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:25/2018/903जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद/मिर्जापुर/सोनभद्र।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद/मिर्जापुर/सोनभद्र।
5. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद एवं अधीक्षक, जिला कारागार, मिर्जापुर/सोनभद्र।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in